दिल्ली पोस्टल तकिला में अतिरिक्त विभागीय एकेंट

"43. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा कररेगे कि ::

(क) दिल्ली सर्किंल में एरेसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की डिविजन-वार संख्या कितनी है, जिन्होंने पांच वर्षाें की सेवा पूरी कर ली है;

(स) क्या सरकार इन अतिरिक्त विभा-गीय एजेंटों को पांस्टर्मन/ग्रूप ''डी'' कर्म-चारियों के संवर्ग में निर्धामन करने का विचार रसती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पोस्टमैनों के संबर्ग में नियमित करने के लिए विभागीय परीक्षा में नियमित ग्रुप ''डी'' कर्मचारियाँ/ पैकरों को ही अधिमान दिया जाता है, परन्तु अंहर्तता-प्राप्त, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को यह सुविधा नहीं दें जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्भा) : (क) संलग्न सूची के अनुसार (वॉडिए विवरण) ।

(श) जी नहीं । वैसे, पोस्टमेन और वर्ग ''ध'' में नियूक्ति करते समय अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को बाहरो उम्मीदवारों की अपक्षा प्राथमिकता दी जाती हैं । हाल ही में विभाग ने एसे आदशे जारी किए हैं जिनके अनुसार बाहरी उम्मीदवारों के कोटे में पोस्ट-मैनों की भरती तथा रिक्त पदों के अवशिष्ट (रिजिडूअल) कोटे में बर्ग ''घ'' काडर की भरती के मामले में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रतिबन्ध आररेगों से छुट दे दी गई हैं ।

(ग) और (घ) जी नहीं । पांस्टमैनों के काडर में खाली पद बाहरी उम्मीदवारों और विभागीय वर्ग ''घ'' कर्मचारियों के बीच 50:50 की अनुपात में बंटे हुए हैं। पांस्ट मैनों के काडर में बाहरी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 50 प्रतिकत खाली पदों को उस अतिरिक्त विभागीय एजेटों में से भरा जाता है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो तथा जो परीक्षा उत्तीर्ण कर लें भी अनुसूचित जाति/अनुस्तित जनजाति के लिए आयु सीमा 40 वर्ष रही गई हैं।

विावारण

दिल्ली सीर्किल में 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को संस्था ।

डाक डिवीजन

दिल्ली उत्तर	92
दि ल्ली पूर्व	18
नइ [*] दिल्ली परिचम	27
नई दिल्ली सेन्ट्रल	9
नई दिल्ली दक्षिण-सेन्ट्रल	28
नई दिल्ली दक्षिण-पश्चिम	19
र'ल डाक सेवा डिवीजन	. 3
दिल्ली शाटिंग	26
नई दिल्ली शाटिंग	45
हवाई डाक	1
প্रधान कार्यालय	
दिल्ली मुख्य डाकधर	न ही
नई दिल्ली प्रधान डाकघर	नहीं
संसद मार्ग	1
इन्द्रप्रस्थ प्रधान डाकघर	1
सरोजनी नगर	1
रमके नगर	ĩ
लोधी रोड	नहाँ
कृष्णा नगर	3
ণি द ेशक विद ेश डाक	नहीं
सकिल कार्यालय	1
<u>भ</u> ग्रे ग	273
745 T	210

9

11 Oral Answers

🕮 भी जगबम्बी प्रसाद यावव : माननीय सभा-पीत जी, यह सवाल तीन लाख ई.डी. कर्म-चारियों का है और इसके साथ हो सबूर कमोशन की रिपोर्टका सवाल भी है। सब्र कमीशन को 30-6 तक एक्सटेइन दिया गया था और अब 30-6 के बाद कोई अतिरिक्त समय भी नहाँ दिया गया है। एक और बात की आर में ध्यान आकोर्थन करना चाहता हा। ईगडी. कर्मचारियों के साथ आउट-साइडर को तरह व्यवहार किया जाता है आँर कई बार तो वैसाव्यवहार भी नहीं किया जाता है। ई. डी. कर्मचारी पांच वर्ष से भी अधिक समय से हाँ और उन्होंने 1984 में परीक्षा भी पास कर ली हैं और उसके बाद ट्रोनिंग भी ले ली है, लॉकन फिर भी उनको इम्पलायमेन्ट बही दिया गया है। द्सरी बात में यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सैकडों पोस्टमन और पैकेंद्र की जगह खाली है और देश के जन्य स्थानों पर भी हवारों जगह बाली होंगी । आप जानते हैं कि पोस्टमैन आपके विभाग का बेसिक अंग है। आप बाहर से दिल्ली में डेली वेजज पर सोगों को रखते हैं। आप ई. डी. कर्म-चारियों को इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं करते हैं ? उदाहरण के लिए मैं बताना षाहता हूं कि आपने संसदीय सौंध में 6 वर्ष से कर्मचारी काम कर रहा है, ट्रेंड है, उसको भी अभी तक काम नहीं दिया गया है। इतनी इम्पार्टेंट जगह पर वह काम कर ** रहा है ।

श्री राम निवास मिर्थाः श्रीमन्, इ.डी. कर्मचारी हमारी डाक व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिभाज्य अंग है और हमारी हमेशा यह कोशिक रही है विः इनका ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायें, जल्दी से जल्दी इनको स्थायी बनाया जाय और सब तरह से इन कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने की कौंशिश हमेशा होती रही है। सबूर कमीशन का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। सबूर कमीशन अपनी रिपोर्ट जल्दी दे देता, लेकिन क्योंकि बेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली थी, इसलिये उचित यही समभागमा कि उस रिपोर्ट के आनं के पश्चात जो भी स्थिति हो उनको ध्यान में रखते हुए सबूर कमीशन अपनी रिपोर्ट पंश करें। हम उनकी रिपोर्ट के आने का 'इन्तजार कर रहे' है। (व्यवधान) वह इंटेरिम रिपोर्टथी दुसरे काम के लिए

to Questions

लंकिन मुख्य रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं।, ए'सा होते ही इम उसका फियान्वित करन के लिए अपने हाथ में लोंगे। कुछ दिक्कत ई. डी. कर्मचारियों के साथ पिछले एक डंढ साल से हुई है और वह इस बात से हुई है कि सरकार ने नयी नियुत्तियों पर राक लगा दो है । हम कोशिश कर रहे है कि इसका हटाया जाए। कुछ हद तक वह हट यई हैं। हम वित्त मंत्रालय से निरन्तर सम्पर्क में हील कर दी जाए ताकि जो कर्मचारी ई.डी. कर्मचारी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं? उनको जल्दी से जल्दी आग की श्रेणी में ला सकें और उनको सुविधाएं प्रदान कर सकें।

भी जगदम्बी प्रसाद धादव : मेरा सवाल था कि हजारों से उजर पोस्टमन और पंकर की जगह दोश में साली है और सैकड़ों कौ संख्या में दिल्ली के सभी सर्कलों में जाली हैं। आपने खाली जरह जो पिछले पांच वर्ष से हैं उनकी संख्या 273 बताई है ৰা खाली जगह है चाहे कर्मचारियों के मरने से हों या प्रोमोकन से हों उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सास करके जो आपने 32 अगदमियों को ट्रेंनिंग देर्दी है उनकी भी आप नियुक्ति न्हा कर रहे हैं। यहां पर तो कोई रोक नहीं है। जो रोक लगाई गई है उसके बाद जो पोस्ट बची हुई है जिसको डोली वेजेज संभरते हैं वहां पर ई.डो. कर्मचारियों को क्यों नहीं भरते हैं? दसरा सवाल मेरा यह है कि सबूर कमेटी का 30-6-86 एक एक्सटेशन था, उसके बाद उसको एक्सटोड नहीं किया गया है जब एक्सटोड नहों किया गया है तो उस की रिपोर्ट का क्या होगा। मैं समफता हुं कि सबूर कमेटी को फोर्थ ये कमीशन की रिपोर्ट ਲ यहले डिसकस हो कर के सामने आना चाहिए था जिससे आपके फोर्थ पे कमीश्वन की रिपोर्ट आती और उधर ई.डी. कर्मचारियों की याद आती इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हू⊤ कि दूसरी जगह जहां ई .डी. कर्मचारियों की स्थिति है अगर दूसरी जगह कोई प्राइवेट एजॅसी अन प्रकार सं कर्मचारियों से काम लेतो उनके बन्धुवा मजदूर कहते है जबकि भारत सरकार के तीन लाख एसे कर्मचारी इम्पलाइड हैं। न उनको सरकारी कर्मचारियों की स्विधाह⁹,, न मकान का किराया मिल्ता हु, न दवा, न छाट्टी और

12

सरकारी कर्मचारी है।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने एक दूसरी बहस प्रारम्भ कर दी है। इसका मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहुंगा । इं.डी. कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। यह सारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि वह अपना कुछ काम अपने ढंग से कराँगे और कुछ काम हमारा कर गे और इसके लिए उनको कुछ पारिश्रमिक भी मिलेगा। इस स्थिति को साफ तौर से हमें समझना चाहिये। वह बिल्कुल पार्टंटाइम तरीके से काम करते हैं। व्यवस्था में यह लिखा हजा है कि उसका दूसरा कोई न कोई स्थायी काम होना चाहिये । जो यह व्यवस्था चल रहो है इसको हम इसी प्रकार से चलने दोना चाहते हैं लेकिन कुछ व्यवस्था हमने बनाई है ताकि इन में से हम स्थायी बना सकें । क्योंकि साली जगहों को भरने पर रोक लगी हुई है लेकिन वह रोक काफी चलीं गई है इससे काफी राहत मिलेगी । सवर कमेटी की रिपोर्ट आते ही सब तरह से हम इसको ठीक कराँगे । इस महीने मौं ही रिपोर्ट आने वाली है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से संहमत नहीं हूं कि यह पहले आनी चाहिये थी। वेतन आयोग की रिपोर्ट के जाने से भी उनको सविधा मिलोगी ।

SHRI. V. GC-PALSAMY : Mr. Chairman, Sir, the Government very often advocates the policy of aboli-tion of bonded labour in the country. But it i s very unfortunete that thousands of extra-departmental employees of the postai department are still suffering. They are the worst sufferers of the system of bonded labour in the Government. The hon. Minister has just now said that they are doing other work and thet they do this as a part-time job. Sir, they do not have any other work and that is why they suffer very much. They get meagre wages and they do not enjoy the benefits which are available to the regular Goverment employees. There has been a demand since decades

to regularise these extra-departmental employees. It shows the callous attitude of the Government, even after all these years, when they say 'it will be done as soon as possible; they will be regularised soon'. I would like to have a categorical reply from the Minister: when will these employees be regularised? Could he give a timebound programme?

SHRIRAMNIWAS MIRDHA: I do not think that the programme has at any time decided that it should be made a regular service. The Government's stand, all along, has been that E.D. employees are not whole-time government servants. They are expected to work only for a few hours and they have other normal occupation. They do this postal work in their own rouses and for this we are providing them with a certain amount of remuneration which has been increased from time to time. Even when the dearness allowance is increased we give them some raise, but the basic idea remains that they are not whole-time government servants and we have no intention of making them as such.

भी राम अवधेक्ष सिंह : सभापति महोदेय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हुं कि सबूर कमीशन के टम्स आफ रिफेरेंस और फार्थ कमीशन के टम्स आफ रिफेरेंस में बहुत जंतर है क्या ? क्योंकि प्ली ले रहो है कि सबूर कमीशन की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद कार्यवाही की जायेगी या हम फोर्थ कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में विचार कराँगे । तो क्या दोनों कमीशन्स के टर्म्स आफ रिफेरेंस में बहुत जंतर है ।' अगर अंतर है तो उसको कटोगोरिकली बताये ।

श्वी राम निवास मिर्धाः श्रीमन्, ये दो बिल्कूल जुदा व्यवस्थाएं है। इ.डो. की व्यवस्था जैसा मैंने बताया दूसरो प्रकार की है और पे कमीशन की व्यवस्था स्थायी सर-कारी कर्मचारियों के लिए है। इसलिए दोनों में अंतर होगा ही। प्रक्ष यही है कि उस रिपोर्ट के पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट को आना चाहिए बाद में आने से इं.डी. कर्मचारियों के लिए क्या फायदा होगा । सबाल हमें यही देखना है । यह रिपोर्ट आने की मंशा यही थी कि वेतन आयोग को रिपोर्ट आ जाये । सबुर कमीशन इसी 23 बुलाई को पे कमीशन वालों से बातचीत कर रहे है कि किस पृष्ठभूमि में उनसे बात की जाये । इसी महीने वह रिपोर्ट आने वाली है और मैं समझता हु कि यह निर्णय सबूर कमीशन का ठीक ही था कि बेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वे सारी व्यवस्था पर विचार कर फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट दें।

श्री राम अवधेक्ष सिंह : टर्म्स आफ रिफोर्ट्स में कुछ अन्तर है? यह तो बताया बार्य।

MR. CHAIRMAN : Next question.

Problems of the paper industry in West Bengal

*44. SHRI SURAJ PRASAD : SHRI GURUDAS DAS GUPTA :t

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state ;

(a) whether a 17-member delegation of West Bengal State Assembly had met him recendy on the problems of paper industry in the State and on the question of scrapping the present freight equalisation scheme; and

(b) if so, what are the details of the demands made by the delegation and Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF IN DUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) Yej, Sir.

{The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta. (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

. The points made by the delegation were as follows :

(i) The critical problem of rawmaterial shortage being faced by all the large paper mills, in West Bengal will have to be sorted out by evolving an effective National Policy whereby rawmaterials needed can be made freely available irrespective of State boundaries.

(ii) To overcome technological obsolescence adversely effecting the viability of the large Paper Mills, it is necessary to implement a programme of modernisation with adequate financial support from All India Financial Institutions.

(iii) The package of assistance already agreed upon in the case of Bengal Paper Milk should be implemented by all the Banks concerned so that the unit can reopen without further delay.

(iv) Titagarh Paper Mills should be nationalised by Government of India in the Public interest.

(v) United Bank of India should withdraw the case it has filed before the Calcutta High Court so that India Paper Pulp Company can secure Institutional Finance by hypothecation of its assets.

(vi) Freight equalisation scheme for coal and steel should be abolished or should be extended to other raw materials for industrial use.

The delegation was informed as follows :-

(j) The State Government should furnish details of raw material requirements, supplies being drawn from neighbouring States and the extent of shortfall being experienced for considering the matter further.